न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0.............................से...

जिला–खगड़िया..................................,सा0...,सन्.............................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष करने के संबंध में। वाद संख्याः– / 07/ 2018 राज्य बनाम थाना अलौली कांड संख्याः–34 / 2017

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सहित 3.
06.06.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत अलौली थाना में दर्ज कांड संख्याः–34 / 2017 दिनांक 09.02.2017 में जप्त देशी महुआ शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1930 / सी0आर0, दिनांक 09.05.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, अलौली का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्लास्टिक के जार में सड़ा हुआ लगभग 15 लीटर देशी महुआ शराब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया से कराया जा चुका है, तथा शेष कुल–15 लीटर देशी महुआ शराब थाना अलौली के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव / प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना अलौली थाने के मालखाना में रखी गईः–कुलः–15 लीटर देशी महुआ शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना अलौली में दर्ज संख्याः–34 / 2017 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल–15 लीटर देशी महुआ शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / थानाध्यक्ष, अलौली / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03.
	डी0 बी0 नं0 337 /विधि, दिनांक 9/6/2018 प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, अलौली/ उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।	